

03/06/25

पत्रा पेश हुई। वादी वकील उपर। वादी
वकील द्वारा दावा को नोट प्रेंस किया
गया। उक्त वाद को आगे चलाना नहीं
चाहते हैं। अतः नोट प्रेंस के आधार पर
पत्रा इसी स्तर पर खारिज की जाती है।
पत्रा प्रेंसल इमार होकर नम्बर से कम
की जाकर दारिजल दफ्तर हो।

Not press

~~सिद्ध~~

03/06/25

